

प्रेषक,

डॉ० सुधीर एम० बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पशुपालन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक ८ अप्रैल, 2019

विषय:- उत्तर प्रदेश के निराश्रित/बेसहारा गोवंश के भरण-पोषण हेतु भूसा कय कर संरक्षित/भण्डारण किये जाने के सम्बन्ध में।

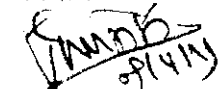
महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन हेतु दिनांक-02.01.2019 को नीति का प्रख्यापन किया गया है।

2- उक्त के क्रम में प्रदेश में स्थापित अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण की व्यवस्था हेतु पर्याप्त मात्रा में भूसा संरक्षित किया जाना आवश्यक होगा। माह अप्रैल-मई में रबी के फसल की कटाई के पश्चात प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भूसा कम दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा। यह भी ज्ञातव्य है कि शासन द्वारा शासनादेश संख्या-150/सैतीस-2-2019-5(53)/2018टीसी-। दिनांक-18.01.2019 द्वारा भरण-पोषण हेतु धनराशि भी उपलब्ध कराई गई है।

3- शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण हेतु स्थानीय स्तर पर वर्षभर की मांग के अनुसार अधिक से अधिक भूसा का संरक्षण/भण्डारण की व्यवस्था कर ली जाय। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण हेतु उपलब्ध धनराशि से स्थानीय स्तर पर वर्षभर की मांग के अनुरूप भूसा नियमानुसार कय कर संरक्षण/भण्डारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश करें।

भवदीय



(डॉ० सुधीर एम० बोबडे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-863(1)/सैतीस-2-2019-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन।
- 2- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०शासन।
- 3- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

आज्ञा से,

(डा० प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।